न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल
सत्रवाद संख्या–428/2023
सुपौल थाना काण्ड संख्या– 361/2023

मन्नु कामत उर्फ मन्नु कुमार, पे0 विष्णु कामत, सा0– पलासपुर, वार्ड नं0 13, थाना– सुपौल, जिला– सुपौल...आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार...विपक्षी

28/11/23

काराधीन अभियुक्त मन्नु कामत उर्फ मन्नु कामत की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व जमानत आवेदन सं0 777/2023 अस्वीकृत किया गया इसके अलावे अन्य कोई भी ज़मानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी आवेदक पर वर्तमान मुकदमा के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी आवेदक को झूठा मुकदमा में विरोधियों द्वारा साजिश वो षड्यंत्र रचकर गलत ढंग से फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगाया गया आरोप 307,498ए भा0दं0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। उक्त आरोप आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बनता है। प्रार्थी आवेदक एवं सूचिका आपस में पति पत्नी है। आवेदक अभियुक्त सूचिका को स–सम्मान अपनी पत्नी के रूप में रखने को तैयार है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल के न्यायालय में विषयक वाद सं0 37/23 दायर किया गया है। आवेदक अभियुक्त द्वारा सूचिका के साथ मारपीट, गाली गलौज एवं राशि की मांग नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन पूर्व में अस्वीकृत किया गया था एवं यह निर्देश दिया गया था कि आवेदक अभियुक्त आरोप पत्र समर्पित होने एवं आरोप गठन के पश्चात् पुनः जमानत की याचना कर सकता है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 11/07/2023 से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है तब से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त न्यायालय का हर शर्त मानने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रस्तुत वाद सूचिका, सुनीता देवी के टंकित आवेदन के आधार पर धारा 341,323,307,498ए,506/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि उसकी शादी 2019 में मन्नु कामत से उपहार स्वरूप राशि एवं सामग्री देकर हुअी थी वह ससुराल में रह रही थी। दिनांक 27/02/2022 को उसके पति मन्नु कुमार सूचिका को मारपीट किया तथा कहा कि अपने पिता से 2 लाख रूपया मांग कर लाओ नहीं तो जान से मार देंगे, जिसपर सूचिका बोली मेरे पिता जमीन बेचकर मेरी शादी किये है वो पैसा कहा से देंगे बहुत समझा बुझा कर कहा किन्तु नहीं माना और उसे भगा दिया। उसके बाद महिला थाना सहरसा द्वारा कम्परमाईज कर महिला थाना सूचिका को अपने पति के साथ रहने के लिए विदा कराया गया उसके पश्चात् कुछ दिन वह ससुराल में थी फिर कुछ दिन बाद उसके साथ उसी प्रकार घटना करके मारपीट करने लगा। तत्पश्चात् पंचों द्वारा दोनो पक्षों के बीच दिनांक 20/03/2023 को सुलहनामा हुआ फिर सूचिका अपने ससुराल गयी कुछ दिन सही रख कर रात में थींनट के साथ घर से अन्य लोगों के साथ चले जाने का विरोध किया तो सूचिका के पति मन्नु कामत तथा सोनू कुमार, दीपक कुमार, ललीता देवी, देबू कामत, सुनीता देवी, अमन कुमार, ब्रम्हदेव कामत, सोनी देवी, आरती कुमारी मुर्ती कमारी, लुड़की देवी, सुमन कुमार, दुलार देवी, शिवन कामत, जयमाला देवी सभी मिलकर उसके साथ मारपीट कर खुन खराबा कर लहु लहान कर घर से भगा दिया। इस बात की सूचना जब सूचिका अपने माता पिता को दी, सूचना पर सूचिका के माता पिता पुलिस बल के साथ दिनांक 13/05/2023 को थाना लाया तथा पुलिस एवं माता पिता के साथ सुपौल अस्पताल लाकर ईलाज करवायी।

सुना व अभिलेख एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि कंडिका 6 में नाथो विश्वास का बयान है जो सूचिका के पिता है। कंडिका 4 में वादिनी का पुनः बयान है तथा पुनः विस्तृत बयान अलग से दर्ज नहीं है उसने प्राथमिकी का समर्थन की है। कंडिका

लगातार

08/11/2023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल

सत्रवाद संख्या–428 / 2023

सुपौल थाना काण्ड संख्या– 361 / 2023

08 / 11 / 23 लगातार	5 में मंतोष कुमार वादिनी के भाई का बयान है उसने भी घटना का समर्थन किया है। कंडिका 2 में वादिनी का जख्म प्रतिवेदन है जिससे प्रतीत होता है कि उसे चार इंजूरी है जिसमें पहली जख्म पर है जो Sharp Cut है जो धारदार हथियार से कारित है। दूसरी इंजूरी Sharp Cut है जो दाहिने केहुनी पर है और तीसरा जख्म बांये बाजू पर Left Arm पर Bruise है तथा चौथा जख्म भी Bruise है। पहले दोनो जख्म धारदार हथियार से कारित होना Sharp cut Pointed object से कारित होना बताया गया है। तीसरा एवं चौथा जख्म Hard and Blunt Substance (कुदं एवं भोथरे पदार्थ) से कारित होना बताया गया। कंडिका 33 में स्वतंत्र साक्षी भूमि साह का बयान है उसने भी कहा है कि मन्नु कामत अपनी पत्नी को पैसा मायके से लाने को कहता था और उसी को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था और आसपास के लोग आकर झगड़ा झुडाता था। आवेदक अभियुक्त का पूर्व में जमानत आवेदन सं0 777 / 2023 अस्वीकृत किया गया था एवं यह निर्देश दिया गया था कि आवेदक अभियुक्त आरोप पत्र समर्पित होने एवं आरोप गठन के पश्चात् पुनः जमानत की याचना कर सकता है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा दिनांक 03 / 11 / 2023 को आरोप का गठन भी किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त कोई हथियार या वस्तु प्रदर्श बरामद नहीं है। आरोप पत्र समर्पित है इसलिए अनुसंधान वास्ते न्यायिक अभिरक्षा में रखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। आवेदक अभियुक्त का साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मददेनजर आवेदक अभियुक्त मन्नु कामत उर्फ मन्नु कामत की ओर मो0 10,000 / – रूपये के व्यक्तिगत एवं सामान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। आवेदक अभियुक्त का एक जमानतदार नजदीकि रिश्तेदार होंगें तथा वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे। 08/11/2023 (सुनील कुमार– तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल